मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–II, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

क्रमांक 8376 /22/वि–12/Maint./ 2012 भोपाल, दिनांक 6 /06/2012

प्रति,

मुख्य महाप्रबंधक (समस्त)/
महाप्रबंधक (समस्त)
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
परियोजना कियान्वयन इकाई ——————
जिला——————(म.प्र.)।

विषयः–5 वर्ष की गारंटी अवधि में मूल ठेकेदार द्वारा अनुबंधानुसार संधारण कार्य न करने पर की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में।

——00——

PMGSY की निविदा शर्तो के अनुसार ठेकेदार कार्य पूर्णता दिनांक से 5 वर्ष के लिए किए गए कार्य की गुणवत्ता (परफारमेन्स) एवं संधारण के लिए उत्तरदायी है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के अनुच्छेद–32 के अनुसार दायित्वों का निर्वाहन न किए जाने की स्थिति में अनुबंध के अनुच्छेद–33 में निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का प्रावधान हैः–

If the Contractor has not corrected a Defect pertaining to the Defect Liability Period under clause 32.1.1 and clause 32.2.2 of these Conditions of Contract, to the satisfaction of the Engineer, within the time specified in the Engineer's notice the Engineer will assess the cost of having the Defect corrected, and the Contractor will pay this amount, on correction of the Defect.

मेरे सम्मुख प्रायः जो प्रकरण प्रस्तुत किए जाते है उनमें यह देखा गया है कि ठेकेदार द्वारा संधारण कार्य न करने के बावजूद भी महाप्रबंधकों द्वारा काफी समय तक उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाती परिणामस्वरूप मार्ग क्षतिग्रस्त होता रहता है। जिन प्रकरणों में महाप्रबंधकों द्वारा ठेकेदार की परफारमेन्स सिक्युरिटी के रूप में जमा बैंक गारंटी encash करा ली जाती है उनमें भी, प्राक्कलन तैयार कर निविदा आमंत्रित करने के अधिकार यद्यपि महाप्रबंधकों को दिए गए है लेकिन एजेन्सी निर्धारण में विलंब किया जाता है परिणामस्वरूप मार्ग इतने क्षतिग्रस्त हो जाते है कि उनकी मरम्मत तथा शेष अवधि का संधारण कार्य ठेकेदार की जमा सुरक्षा राशि में संभव नहीं होता तथा शेष व्यय, सामान्यतः शासन को वहन करना पड़ता है। अतः इस प्रकार के प्रकरणों पर निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए जाते हैः–

1. यदि ठेकेदार द्वारा वांछित रिपेयर/संधारण कार्य नोटिस दिए जाने के 15 दिन के अंदर प्रारंभ नहीं किया जाता है तो उसे अनुच्छेद–33 के अंतर्गत नोटिस देकर बी.जी./एफ.डी.आर. encash करने की तुरत कार्यवाही की जाय।

2. रूटीन मेनटेनेन्स के अतिरिक्त जो अन्य मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है उसका प्राक्कलन तुरंत तैयार कर मुख्य महाप्रबंधक से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करें।[यदि ठेकेदार की B.G. encashment की राशि के अंतर्गत कार्य कराया जाना संभव है तो प्रकरण में पृथक प्रशासकीय स्वीकृति की आवश्यकता नही होगी।] यदि

प्राक्कलन की राशि ठेकेदार की जमा राशि से अधिक है तो मुख्य महाप्रबंधक से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर प्रशासकीय स्वीकृति हेतु प्रकरण तुरंत मुख्यालय भेजा जाये। प्राक्कलन प्रचलित निर्देशों के अनुसार Part-I (Initial Rehabilitation) एवं Part-II (शेष अवधि का Routine Maintenance) के अंतर्गत तैयार किया जायेगा।

3. संधारण कार्यो की नवीन एजेन्सी तय करने के लिए निविदा सूचना एवं शेड्यूल्य का प्रारूप, के संबंधित मुख्य महाप्रबंधक द्वारा अनुमोदन के पश्चात् निविदा सूचना महाप्रबंधक द्वारा जारी की जा सकेगी।

4. बिन्दु क्र. 2 के अनुसार प्राक्कलन तैयार होने के तत्काल पश्चात् मूल ठेकेदार को भी सूचित किया जाये कि उनके द्वारा संधारण कार्य नहीं किए जाने के कारण अन्य एजेन्सी निर्धारित की जा रही है जिसके लिए वर्तमान में प्रचलित निविदा दरों के अनुसार (संभावित निविदा प्रीमियम जोड़कर) रू.....................का प्राक्कलन तैयार किया गया है अन्य एजेन्सी से कार्य कराने पर जो वास्तविक व्यय आएगा वह उनसे अनुबंध के अनुच्छेद–33 के अनुसार वसूल किया जायेगा।

(अलका उपाध्याय)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल

पृ.क्रमांक 8377 /22/वि–12/Maint./ 2012 भोपाल, दिनांक 6/06/2012

प्रतिलिपिः– 1) प्रमुख अभियंता, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
2) मुख्य महाप्रबंधक–I म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
3) मुख्य महाप्रबंधक (वित्त) म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।
4) वित्तीय सलाहकार, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मुख्यालय भोपाल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण,
भोपाल